FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ...सहायक कलक्टर (SDO) बापतु... मुकाम...

...जसोदा ...बनाम... सरपंच ग्रा० पं० नरसोलीनाडी ...

किस्म मुकदमा... 75 RLR act ... नं. ... 04/2020 ... सन... 2020...

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.20	~~प्रार्थी/वादी~~/अपीलांट के वकील श्री ... नरपत सिंह ... ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/वाद/अपील धारा ... 75 RLR act ... ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी /प्रतिवादी~~/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलव होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ... 16/09/2020 ... को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बापतु	
16/09/20	अपीलान्ट के वकील उपस्थित। रेस्पोंडेंट संख्या-1 व 2 की ओर से वकील श्री रिछपाराम सियाग द्वारा वकालतनामा व रेस्पोंडेंट संख्या-2 की ओर से आपत्ति पेश की गई जिसकी प्रति अपीलान्ट के अधिवक्ता को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक-22/09/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बापतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:38:30 IST
Reason: SelfAttested

22/09/2020

वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी वाद दौरान डिगद व्यस्त होने से मिसल इत्तला होकर दिनांक 21/10/2020 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

21/10/2020

दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते संशोधित करते अपील पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त अपील में टंकण करते समय अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या-63 अंकित कर दिया गया है जबकि 63 नामान्तरकरण संख्या न होकर खाता संख्या है तथा नामान्तरकरण संख्या-292 है। टंकण भूल से अंकित नामान्तरकरण संख्या-63 के स्थान पर नामान्तरकरण संख्या-292 दुरुस्त किया जाने का आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना-पत्र की प्रति रेस्पोन्डेन्ट के अधिवक्ता को दी गई, प्रार्थना-पत्र पर मनन किया गया। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र टंकणीय भूल सुधारने बाबत को स्वीकार किया जाकर अपील में टंकणीय भूल से लिखे गये नामान्तरकरण संख्या-63 के स्थान पर नामान्तरकरण संख्या-292 पढ़ा जाने का आदेश किया जाता है। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट के अधिवक्तागणों की मूल अपील पर बहस सुनी गई। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि नामान्तरकरण संख्या-292 दिनांक-10.7.2020 इस आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है कि उत्तरदाता संख्या-2 स्वयं ने ही गलत तरीके से तरमीम करके उक्त नामान्तरकरण पारित किया गया है उत्तरदाता संख्या-2 जो ग्राम पंचायत नरसाली नाडी की सरपंच है अपने स्वयं के नाम

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:38:30 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रा० अपील सं०- 04/20 मनवार-जतोदा v/s सरपंच ग्राम पंचायत नरसाली नाडी	
	से खरीद शुदा अराजी का नामान्तरकरण भर- कर स्वीकृत नहीं कर सकती है ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण संख्या- 292 काबिल निरस्त योग्य है। जिसे खारीज फरमाया जावे। जबकि रेस्पोडेन्टगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट संख्या-1 द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर-1029/885 में से 3.00 बीघा अर्थात 0.4854 हैक्टयर के निश्चित व विशिष्ट भू-भाग का बेचान उत्तर- दाता संख्या-2 से नकद प्रतिफल प्राप्त कर किया गया था तथा मौके पर भी बेचान के अनुसार ही उत्तरदाता संख्या-2 को साथ लेकर नाप तोल कर काबिज कर दिया था तथा मौके पर काबिज व कब्जा काश्त अनुसार ही सही तरमीम की गई है। तथा उत्तरदाता संख्या-2 के नाम से अलग खसरा नम्बर 1125/1029 रकबा- 0.4854 हैक्टयर कायम किया गया तथा विक्रय-पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये अनुसार सड़क मार्ग व पीछे की तरफ स्थित खसरा नम्बर-1028/885 के मध्य भूमि बेचान करना स्पष्ट रूप से बताया गया है इस कारण बेचान के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' व वर्तमान की तरमीम में प्रथम दृष्टया ही समानता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तथा उत्तरदाता संख्या-2 द्वारा अपीलान्ट संख्या- 1 से खरीद की गई भूमि खसरा नम्बर 1125/1029 रकबा- 0.4854 हैक्टयर में से रकबा-0.2447 हैक्टयर का दान विलेख ग्राम पंचायत नरसाली नाडी हेतु कर दिया गया है जिस पर नामान्तरकरण संख्या - 298 दिनांक- 29.7.20	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:38:30 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रा०अपील सं०- 04/20 अनवार- जसोदा V/s सरपंच ग्राम पंचायत नरसाली नाडी
	संस्था-2 द्वारा ग्राम पंचायत को दान की गई, भूमि के नये खसरा नम्बर-1128/1125 रकबा-0.2447 हैक्टेयर ग्राम पंचायत नरसाली नाडी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया है तथा शेष भूमि खसरा नम्बर-1129/1125 रकबा-0.2407 हैक्टेयर उत्तरदाता संस्था-2 के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। उक्त इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों ने जाँच कर सही नामान्तकरण पारित किया गया है। विक्रय-पत्र के संलग्न नक्शे अनुसार ही तरमीम की गई, तरमीम ट्रेस में तरमीम एक लिंक माप तोल व स्केल के अनुसार की गई है। जो बेचान दस्तावेज के संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार की गई है। उक्त अपील में अपीलान्ट द्वारा मात्र तरमीम को चुनौती दी गई है। इसलिए अपीलान्ट की अपील चलने योग्य नहीं है। जबकि नामान्तकरण संख्या-292 बेचान दस्तावेजों के आधार पर ही भरा गया है जिसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रही है। लिहाजा अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से इसी स्टेज पर खारीज फरमायी जावें।
	अतः दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनने व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने के बाद उक्त नामान्तकरण संख्या-292 में कोई किसी प्रकार की त्रुटि प्रतित नहीं होती है। लिहाजा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से इसी स्टेज पर खारीज की जाती है। पत्रावली मौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।
	[signature] 21.10.2020

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:38:30 IST
Reason: SelfAttested